भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3077**

27.03.2025 को उत्तर के लिए

**वनों में आग लगने की घटनाएं**

**3077. डा. अजित माधवराव गोपछड़े :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा वनों में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और क्या इस मुद्दे पर कोई वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में महाराष्ट्र के वन क्षेत्रों में आग लगने की कितनी घटनाएं दर्ज की गई; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में वनों में आग लगने की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के सहयोग से राज्य-वार और वर्ष-वार क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क) मंत्रालय ने राष्ट्रीय वनाग्नि कार्य योजना-2018 तैयार की है, जिसमें वनाग्नि की रोकथाम तथा आग लगने के खतरों के प्रति वनों की अनुकूलनीयता में सुधार करने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी वनाग्नि की रोकथाम तथा प्रबंधन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-विशिष्ट उपाय करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के साथ मिलकर राज्य कार्य योजना तैयार करते हैं।

वनाग्नि की रोकथाम के लिए, यह मंत्रालय भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून के माध्यम से पंजीकृत ग्राहकों तथा राज्य वन विभाग के अधिकारियों को वनाग्नि से निपटने के लिए पूर्व-अग्नि चेतावनी (एक सप्ताह पहले), बड़े पैमाने पर वनाग्नि चेतावनी तथा निकटम वास्तविक समय में वनाग्नि चेतावनी देता है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के साथ समन्वय करके बड़े पैमाने पर वनाग्नि से निपटने के लिए 150 कर्मियों वाली तीन टीमों को प्रशिक्षित किया है। इन टीमों को वनाग्नि पर काबू करने के लिए आवश्यकतानुसार तैनात किया जाता है।

(ख) देश में वनाग्नि की घटनाओं का पता भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्वारा मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो-रेडियोमीटर (एमओडीआईएस) और सुओमी नेशनल पोलर-ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट (एसएनपीपी-वीआईआईआरएस) सैटेलाइट-युक्त

सेंसर का उपयोग करके लगाया जाता है। एफएसआई, देहरादून से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, नवंबर से जून के दौरान एसएनपीपी-वीआईआईआरएस सेंसर का उपयोग करके महाराष्ट्र राज्य में पता लगाई गई पिछली पांच वनाग्नि अवधियों की घटनाओं की संख्या इस प्रकार है:

| वनाग्नि अवधि | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| पता लगाई गई वनाग्नि की संख्या | 14,018 | 34,025 | 22,052 | 16,119 | 16,008 |

(ग) पिछले पांच वर्षों में, केंद्र सरकार ने भारतीय वन सर्वेक्षण तथा महाराष्ट्र सरकार और अन्य हितधारकों सहित राज्य सरकारों के सहयोग से वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कार्यों में अग्नि निवारण उपायों को मजबूत करने, प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार करने तथा जैव विविधता और स्थानीय समुदायों पर अग्नि के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित वनाग्नि निवारण तथा प्रबंधन योजना और काम्पा (प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण) निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना; एफएसआई के माध्यम से वनाग्नि का पता लगाना और हितधारकों की जागरूकता के लिए वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है।

वनाग्नि निवारण और प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत मंत्रालय द्वारा जारी की गई धनराशि तथा वनाग्नि निवारण और नियंत्रण कार्यकलापों के लिए वार्षिक संचालन योजना के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण (काम्पा) द्वारा अनुमोदित धनराशि का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I और II में दिया गया है। पिछली पांच वनाग्नि अवधि (नवंबर 2019 से जून 2024 तक) के दौरान एसएनपीपी-वीआईआईआरएस सेंसर का उपयोग करके एफएसआई के माध्यम से वनाग्नि का पता लगाने की राज्यवार संख्या का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

*****

**अनुलग्नक-I**

**'वनों में आग लगने की घटनाएं' के संबंध में डॉ. अजीत माधवराव गोपछड़े द्वारा दिनांक 27.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3077 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक :**

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजना : वनाग्नि रोकथाम और प्रबंधन के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा जारी धनराशि का विवरण :

**(राशि लाख में)**

| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | **2023-24** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 216.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.37 |
| 2 | बिहार | 208.16 | 233.94 | 0.00 | 39.62 | 142.85 |
| 3 | छत्तीसगढ | 392.07 | 0.00 | 140.55 | 0.00 | 81.90 |
| 4 | गुजरात | 183.92 | 185.60 | 99.80 | 0.00 | 70.79 |
| 5 | गोवा | 0.00 | 0.00 | 57.30 | 0.00 | 18.05 |
| 6 | हरियाणा | 49.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.52 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 199.99 | 203.29 | 116.17 | 113.29 | 180.80 |
| 8 | झारखंड | 222.02 | 153.46 | 136.15 | 1.69 | 47.84 |
| 9 | कर्नाटक | 136.75 | 219.40 | 157.33 | 87.38 | 52.85 |
| 10 | केरल | 256.80 | 0.00 | 362.88 | 444.31 | 354.03 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 327.29 | 269.88 | 0.00 | 635.48 | 775.02 |
| **12** | **महाराष्ट्र** | **428.07** | **455.18** | **0.00** | **395.99** | **147.06** |
| 13 | ओडिशा | 463.84 | 400.55 | 839.83 | 338.80 | 147.18 |
| 14 | पंजाब | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.79 |
| 15 | राजस्थान | 0.00 | 97.15 | 127.21 | 33.47 | 50.73 |
| 16 | तमिलनाडु | 154.82 | 0.00 | 238.90 | 0.00 | 289.41 |
| 17 | तेलंगाना | 0.00 | 166.96 | 0.00 | 0.00 | 152.60 |
| 18 | उत्तर प्रदेश | 97.63 | 146.96 | 111.79 | 0.00 | 44.01 |
| 19 | उत्तराखंड | 480.03 | 0.00 | 354.36 | 133.93 | 337.98 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 95.61 | 78.83 | 132.73 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | असम | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 89.77 | 198.12 | 198.12 |
| 23 | मणिपुर | 55.34 | 316.61 | 86.53 | 106.61 | 106.61 |
| 24 | मेघालय | 73.94 | 73.31 | 0.00 | 38.17 | 46.72 |
| 25 | मिजोरम | 108.12 | 112.46 | 87.19 | 30.87 | 48.14 |
| 26 | नागालैंड | 79.95 | 87.80 | 64.52 | 28.82 | 288.37 |
| 27 | सिक्किम | 293.77 | 0.00 | 89.73 | 47.91 | 144.62 |
| 28 | त्रिपुरा | 103.43 | 45.62 | 82.26 | 47.48 | 47.64 |
| 29 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 30 | चंडीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 50.72 | 0.00 | 4.97 |
| 31 | दादर और नगर हवेली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | लक्षद्वीप | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | पुदुचेरी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.40 | 0.00 |

**अनुलग्नक-II**

**'वनों में आग लगने की घटनाएं' के संबंध में डॉ. अजीत माधवराव गोपछड़े द्वारा दिनांक 27.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3077 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक :**

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान वनाग्नि रोकथाम एवं नियंत्रण क्रियाकलापों के लिए वार्षिक संचालन योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण (काम्पा) द्वारा अनुमोदित धनराशि का विवरण :

**(राशि करोड़ में)**

| **क्र. सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **2022-23** | **2023-24** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 1.48 | 0.24 | 0.66 | 0.32 |
| 3. | आंध्र प्रदेश | 8.52 | 8.53 | 8.80 | 11.03 | 2.61 |
| 4. | असम | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 5. | बिहार | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 6. | चंडीगढ़ | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 7. | छत्तीसगढ | 16.20 | 25.50 | 25.30 | 14.28 | 15.75 |
| 8. | दिल्ली | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 9. | गोवा | 0.59 | 1.11 | 0.20 | 1.45 | 1.79 |
| 10. | गुजरात | 2.85 | 0.04 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 11. | हरियाणा | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 2.16 | 4.44 | 3.00 | 7.0 | 8.94 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | 2.16 | 2.36 | 3.41 | 3.21 | 5.98 |
| 14. | झारखंड | 0.03 | 0.03 | 1.49 | शून्य | शून्य |
| 15. | कर्नाटक | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 13.00 |
| 16. | केरल | शून्य | 2.82 | 4.91 | 4.23 | 1.50 |
| 17. | मध्य प्रदेश | शून्य | 14.70 | 22.04 | 25.00 | 25.00 |
| **18.** | **महाराष्ट्र** | **5.00** | **3.71** | **6.99** | **15.16** | **27.03** |
| 19. | मणिपुर | 0.87 | 0.56 | 1.07 | 0.77 | 0.82 |
| 20. | मेघालय | शून्य | 1.29 | 0.20 | 0.00 | 1.44 |
| 21. | मिजोरम | शून्य | 0.80 | 1.85 | 1.20 | 2.00 |
| 22. | लद्दाख | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 10.76 |
| 23. | ओडिशा | 22.78 | 21.94 | 23.77 | 39.20 | 8.62 |
| 24. | पंजाब | 0.00 | 3.49 | 1.84 | 3.66 | 4.94 |
| 25. | राजस्थान | 0.00 | 1.86 | 0.31 | 0.41 | 0.78 |
| 26. | सिक्किम | 0.82 | 0.26 | 0.45 | शून्य | शून्य |
| 27. | तमिलनाडु | शून्य | 4.56 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 28. | तेलंगाना | 12.00 | शून्य | 10.83 | 17.76 | 0.75 |
| 29. | त्रिपुरा | शून्य | 0.32 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 0.76 | 2.64 | 1.45 | शून्य | शून्य |
| 31. | उत्तराखंड | 13.30 | 9.80 | 8.80 | 5.00 | 8.96 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | शून्य | 4.00 | 2.74 | 2.27 | 1.50 |

**अनुलग्नक-III**

**'वनों में आग लगने की घटनाएं' के संबंध में डॉ. अजीत माधवराव गोपछड़े द्वारा दिनांक 27.03.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3077 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक :**

पिछले पांच वनाग्नि अवधि के दौरान एसएनपीपी-वीआईआईआरएस सेंसर का उपयोग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा पता लगाई गई वन अग्नि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (इसमें बड़ी, निरंतर और बार-बार होने वाली वनाग्नि शामिल है)।

| क्र.सं | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वनाग्नि अवधि (नवंबर से जून) में एसएनपीपी-वीआईआईआरएस द्वारा पता लगाना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 9,996 | 19,328 | 14,138 | 19,367 | 18,174 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1,786 | 3,914 | 3,449 | 2,447 | 2,053 |
| 3 | असम | 8,924 | 10,718 | 8,158 | 9,830 | 7,639 |
| 4 | बिहार | 614 | 5,179 | 3,024 | 3,793 | 2,763 |
| 5 | छत्तीसगढ | 6,360 | 38,106 | 25,792 | 20,306 | 18,950 |
| 6 | दिल्ली | 21 | 14 | 3 | 7 | 16 |
| 7 | गोवा | 47 | 45 | 20 | 147 | 36 |
| 8 | गुजरात | 2,770 | 3,803 | 2,769 | 2,342 | 3,182 |
| 9 | हरियाणा | 68 | 152 | 135 | 82 | 166 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 536 | 4,110 | 5,280 | 704 | 10,136 |
| 11 | झारखंड | 2,613 | 21,713 | 9,419 | 11,923 | 7,525 |
| 12 | कर्नाटक | 4,232 | 5,784 | 4,973 | 13,074 | 5,500 |
| 13 | केरल | 864 | 296 | 504 | 1,550 | 1,110 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 9,537 | 47,795 | 32,728 | 17,142 | 15,878 |
| 15 | महाराष्ट्र | 14,018 | 34,025 | 22,052 | 16,119 | 16,008 |
| 16 | मणिपुर | 8,800 | 10,457 | 5,544 | 10,127 | 4,498 |
| 17 | मेघालय | 6,762 | 7,658 | 6,322 | 6,604 | 4,319 |
| 18 | मिजोरम | 7,361 | 12,846 | 8,734 | 5,798 | 6,627 |
| 19 | नागालैंड | 2,905 | 4,975 | 3,471 | 3,882 | 2,609 |
| 20 | ओडिशा | 10,602 | 51,968 | 22,014 | 33,461 | 20,973 |
| 21 | पंजाब | 153 | 635 | 428 | 119 | 605 |
| 22 | राजस्थान | 3,461 | 3,402 | 2,703 | 2,059 | 4,352 |
| 23 | सिक्किम | 47 | 63 | 26 | 49 | 101 |
| 24 | तमिलनाडु | 1,368 | 1,220 | 1,035 | 1,998 | 3,380 |
| 25 | तेलंगाना | 12,132 | 18,237 | 13,737 | 13,117 | 13,479 |
| 26 | त्रिपुरा | 4,369 | 5,015 | 2,609 | 4,332 | 2,089 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 1,548 | 8,608 | 5,428 | 3,235 | 4,424 |
| 28 | उत्तराखंड | 759 | 21,487 | 12,985 | 5,351 | 21,033 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 1,320 | 3,287 | 1,520 | 3,096 | 2,020 |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 39 | 16 | 33 | 20 | 21 |
| 31 | चंडीगढ़ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 21 | 34 | 18 | 16 | 16 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 438 | 1,098 | 4,282 | 131 | 3,829 |
| 34 | लद्दाख | | | | 20 | 32 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | पुदुचेरी | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल** | | **1,24,473** | **3,45,989** | **2,23,333** | **2,12,249** | **2,03,544** |

*****